राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3028/2024

हेमेन्द्र कुमार गोयल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग(Gr-1), शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर, राजस्थान।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. मुकेश कुमार अग्रवाल, तहसीलदार, सवाईमाधोपुर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.10.2024
आदेश की दिनांक : 04.10.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 03.10.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उप पंजीयक, जयपुर–4, जयपुर से उप पंजीयक, दौसा जिला दौसा के पद पर किया गया है। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क है कि अपीलार्थी दिव्यांग व्यक्ति है, जिसके 75 प्रतिशत स्थायी निशक्तता है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, जिससे अपीलार्थी को काफी असुविधा होगी। अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा विशेष योग्यजन व्यक्तियों की नियुक्ति/पदस्थापन के सम्बन्ध में परिपत्र दिनांक 18.07.2022 जारी किया गया है, जिसमें यह प्रावधान रखा गया है कि विशेष योग्यजन व्यक्तियों की नियुक्ति/पदस्थापन उनके इच्छित स्थान पर अथवा नजदीक के स्थान पर किया जाए। अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी वर्तमान पद पर दिनांक

14.08.2023 को पदस्थापित हुआ था और केवल 13 माह की अवधि में ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 मुकेश कुमार अग्रवाल को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
4. हमारे समक्ष यह तथ्य प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी विशेष योग्यजन की श्रेणी का व्यक्ति है, जिसके 75 प्रतिशत स्थायी निशक्तता है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि वह अपने किसी कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें, परन्तु यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी दिव्यांग व्यक्ति है। ऐसे में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 18.07.2022 के अनुसार अपीलार्थी से उसका इच्छित स्थान पूछा जाना चाहिए था।
5. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 01 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 03 सप्ताह की अवधि में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 03.10.2024 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
6. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)